



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 207 राँची, गुरुवार,

6 अप्रैल, 2023 (ई०)

पंचायती राज विभाग

संकल्प

18 मार्च, 2023

संख्या- 01 स्था (क्षे०)- 14/2022 ..626..--

विषय:- पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी है । संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित दायित्वों का निर्वहन पंचायती राज संस्थाओं को करना है । त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई के रूप में ग्राम पंचायत क्रियाशील है । ग्रामीण जनता की सर्वाधिक अपेक्षाएँ एवं दैनिक जीवन का कार्य व्यवहार स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों से रहता है ।

नूतन दायित्वों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीणों को उनके निवास स्थान पर ही समुचित जीवन स्तर एवं सेवाओं तथा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य में ग्राम पंचायत सचिवालय भवन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में वर्तमान में 4345 पंचायतें हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ देने हेतु ग्राम

पंचायत सचिवालय भवन में आधुनिक तकनीक एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं सेवा के नितांत आवश्यकता है। अपने दायित्वों के निर्वहन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को वित्तीय संसाधन हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। परंतु केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों के अधीन किया जाता है। फलस्वरूप वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवाओं एवं सुविधाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है। अतः अपने नागरिकों को ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में आधारभूत संरचना एवं न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त राशि का व्यय अपेक्षित है।

उक्त पृष्ठभूमि पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण हेतु निम्नवत निर्णय लिया हैं:-

1. सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क तक पहुँच पथ सुनिश्चित किया जाएगा।
2. वर्तमान में प्रभावी प्रणाली के अन्तर्गत पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केन्द्र संचालित किया जाय, जिसके लिए उन्हें एक कमरा निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
3. सभी पंचायत सचिवालय में Bank Branch/ATM/Payment Bank/Indian Postal Bank के Branch की स्थापना करायी जाय। इन संस्थाओं को पंचायत सचिवालय में कमरा/स्थान Free of Cost उपलब्ध कराया जाएगा।
4. पंचायत सचिवालय में राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय हेतु एक कमरा आवंटित किया जाएगा। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा उनके पंचायत सचिवालय में उपस्थिति हेतु स्वयं दो कार्यदिवस निर्धारित किया जाएगा, जिसकी सूचना पंचायत सचिवालय भवन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।
5. सभी पंचायत सचिवालय में लगभग 100 mbps गति (Upload & Download) का Postpaid Net Connection रहना अनिवार्य किया जाय। पंचायत सचिवालय भवन के 4 कमरों में केबल के माध्यम से तथा शेष परिसर में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
6. सभी पंचायत सचिवालय भवन में वैध विद्युत कनेक्शन एवं वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
7. सभी पंचायत सचिवालय भवन में पेयजल, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
8. सभी पंचायत सचिवालय में एक 65 inch का Smart LED TV, Computer, एक Inverter एवं एक Stabilizer अधिष्ठापित किया जाएगा।
9. पंचायत सचिवालय में एल०ई०डी० टी०वी० अधिष्ठापन, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट (आवश्यक उपस्कर सहित) के लिए एक बारीय व्यय हेतु राशि का उपबंध अन्य योजना से किया जायेगा।

10. पंचायत सचिवालय में इंटरनेट, पेयजल, बिजली एवं सुरक्षा, साफ-सफाई जेनरेटर हेतु आवर्ती व्यय के लिए उक्त योजना में माह मार्च 2023 के प्रभाव से प्रति पंचायत 15,000 (पन्द्रह हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से राशि अनुमान्य होगी।

11. पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण योजना हेतु निम्न बजट शीर्ष में राशि उपबंधित एवं आवंटित की जाएगी:-

(i) राज्य स्कीम (विस्तृत)-माँग संख्या-56-पंचायती राज विभाग-मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष - 001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष- 84 -पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण - विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-विपत्र कोड - 56S25150000184000679

(ii) राज्य स्कीम (विस्तृत)-माँग संख्या-56-पंचायती राज विभाग-मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष- 84-पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण - विस्तृत शीर्ष - 06- अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-विपत्र कोड- 56S25150079684000679

(iii) राज्य स्कीम (विस्तृत)-माँग संख्या-56-पंचायती राज विभाग-मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष- 84 -पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण -विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-विपत्र कोड- 56S25150078984000679

12. पंचायत सचिवालय भवन के लघु मरम्मत, रंग-रोगन, प्लास्टर, दरवाजा-खिड़की की मरम्मत, वायरिंग इत्यादि का व्यय इसी योजना की राशि से अनुमान्य होगा।

13. पंचायतों में इस योजना के व्यय के लिए अलग रोकड़ पंजी संधारित की जाएगी।

14. योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा निदेश निर्गत करने में पंचायती राज विभाग सक्षम होगा।

15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पंचायती राज विभाग के संलेख ज्ञापांक 573 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में दिनांक 15.03.2023 की बैठक में मद संख्या 17 के रूप में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरुण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
